

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 71/24 (वाद)

GCMS No. : 2024/167

1. मांगीलाल पिता भंवरलाल जी जैन, उम्र वयस्क, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
2. श्रीमती उगमबाई पत्नी मांगीलाल जी जैन, उम्र वयस्क, निवासी सासेरा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)

.....वादीगण

बनाम

1. नाथुसिंह पिता सवसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी वांगरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. सोहनकुंवर पुत्री सवसिंह जी पत्नी हरिसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी वांगरोदा, हाल घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. भंवरकुंवर पुत्री सवसिंह जी पत्नी नाथूसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फरारा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज०)
4. अंकित कुमार पिता चन्द्रप्रकाश जी जैन, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. एकता पत्नी विशाल जी दुग्गड़, उम्र वयस्क, निवासी 191 भुपालपुरा उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
6. ओमप्रकाश पिता सुन्दरलाल जी मेहता ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी नुरड़ा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
7. चन्द्रप्रकाश पिता चांदमल जी जैन सिंयाल, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. प्रहलाद पिता अर्जुनलाल जी लावटी, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. भरत पिता हरकलाल जी दुग्गड़, उम्र वयस्क, निवासी क्यूरोड भुपालपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
10. सुन्दरलाल पिता डालचन्द जी मेहता ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी नुरड़ा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
11. सरोजदेवी पत्नी हरकलाल जी दुग्गड़, उम्र वयस्क, निवासी क्यूरोड भुपालपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
12. पटवारी, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण



उपस्थित-1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 30.04.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वांगरोदा, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 531, 532, 533, 534, 535, 558, 559, 561, 562, 563 किता 10 कुल क्षेत्रफल 3.0028 हैक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4, 8, 9, 11 प्रत्येक के नाम 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7, 10 प्रत्येक के नाम 1/12 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत का निधन हो चुका है जिसके वारिस पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं पुत्रीयां प्रतिवादी संख्या 2, 3 है। खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत ने अपने जीवनकाल में स्वयं को जायज जरूरियात रूपयों की सख्त आवश्यकता होने से दिनांक 25.05. 2011 को उक्त वर्णित कृषि भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण 1/6 हक हिस्से की कृषि भूमि को बिल एवज 6,00,000/-छः लाख रूपये में हम वादीगण को विक्रय कर दी और विक्रेता एजनकुंवर ने विक्रय प्रतिफल की कुलिया राशि प्राप्त कर हम वादीगण के पक्ष में विक्रय पत्र लिखवाकर रजिस्ट्री करा विक्रीत कृषि भूमि का मौके पर कब्जा हम वादीगण को सुपुर्द कर दिया जिससे तब से इस क्रय सुदा जमीन पर हम वादीगण का अपने परिवारजन सहित निरन्तर लगातार कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा हैं और हम वादीगण निरन्तर निर्वाध रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं और इस जमीन को काश्त योग्य बनाने में भी हम वादीगण ने काफी खर्चा किया हैं और परिवार सहित कड़ी मेहनत कर इस जमीन को आवादान कर विकसित की हैं। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है।

2. यह कि हम वादीगण ने पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा अपने क्रय सुदा हक हिस्से को अपने नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु तत्कालीन पटवारी हल्का को असल विक्रय पत्र भी सिपुर्द किया तथा पटवारी हल्का ने हम वादीगण को आश्वासन दिया था कि वह विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण हमारे नाम पर खोल देंगे। असल विक्रय पत्र पटवारी हल्का को देने के उपरान्त हमने कई बार पटवारी हल्का से जमीन हमारे नाम पर होने के बारे में पूछा गया तो पटवारी हल्का द्वारा हर समय टालम टूल किया जाता रहा और यह कहा जाता कि अभी टाईम नहीं मिल रहा है और टाईम मिलते ही रजिस्ट्री से जमीन आपके नाम पर नामान्तरकरण खोल दर्ज कर दूंगा। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा हमारी क्रयसुदा भूमि हम वादीगण के नाम पर अंकित नहीं की गई जिस वजह से आज भी हम वादीगण की खरीदसुदा कृषि भूमि विक्रेता एजनकुंवर के नाम पर ही अंकित चली आ रही हैं। जबकि विक्रेता खातेदार द्वारा अपने हक हिस्से को बेचने के पश्चात् विक्रेता या प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का उक्त भूमि में कभी भी कोई स्वत्व कब्जा अधिकार नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है। हम वादीगण की खरीदसुदा जमीन हमारे नाम पर अंकन नहीं होने से हम वादीगण को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ रहा है।
3. यह कि हम वादीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। क्योंकि हम वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की माता एजनकुंवर से भूमि को पूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की और कब्जा प्राप्त किया है और जमीन खरीदने के बाद से ही हम वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। किन्तु विक्रय पत्र के आधार पर उक्त क्रयसुदा कृषि भूमि हम वादीगण के नाम पर अंकन नहीं होने से भूमि विक्रेता खातेदार के नाम दर्ज रह गई और वर्तमान में जमीनों की कीमतों में काफी वृद्धि होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मन में भी लोभ और लालच की भावना जागृत हो गयी है और वे अपनी माता द्वारा बेची हुई जमीन को अपने नाम पर अंकन करवाकर पुनः दूसरे लोगों को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने एवं हम वादीगण को बेदखल करने की धमकीयां दे रहे हैं। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हमारी खरीदसुदा उक्त हिस्सा कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1

से 3 वादीगण की क्रयसुदा जमीन अर्थात विक्रेता एजनकुंवर के नाम दर्ज हिस्से को अपने नाम पर अंकित नहीं करावें, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, वादीगण को उनके द्वारा खरीदी गई भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, मौके व राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा होने वाली नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम वादीगण को अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा।

4. यह कि हम वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद कारण दिनांक 18.02.2024 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने हम वादीगण की खरीदसुदा जमीन अपने नाम पर दर्ज कराने एवं हम वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
5. अंत में निवेदन किया कि हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में हम वादीगण को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत के नाम दर्ज कुलिया हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे और इसी अनुसार मुझ वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात में वादीगण द्वारा खरीदी गई भूमि का वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विक्रेता एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत के नाम दर्ज हिस्से को अपने नाम पर अंकित नहीं करावे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, कब्जा नहीं, प्रवेश नहीं करे, वादीगण को बेदखल नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 12 से 14 को पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज नामान्तरकरण खुलाने

/ पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो उसका पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण नही खोले, न स्वीकृत करे एवं राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे, रेकर्ड में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नही करें, न करावें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 4 से 11 आवश्यक अनौपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी संख्या 12 से 14 आवश्यक अनौपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। वादीगण के वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 मांगीलाल पिता भंवरलाल द्वारा उपस्थित होकर ब्यान क्रमबंध करवाए गए। मैने दिनांक 25.05.2011 को मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल में स्थित कृषि भूमि जिसके आराजी नम्बर 531, 532, 533, 534, 535, 558, 559, 561, 562, 563 किता 10 कुल रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा (हाल 3.0028 हेक्टेयर) भूमि में विक्रेता श्रीमती ऐजन कुंवर पत्नी स्व. सवसिंह राजपूत से उनका सम्पूर्ण 1/6 वां हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मैं मांगीलाल एवं मेरी पत्नी उगम बाई ने खरीदा था और खरीदने के बाद विक्रेता ने विक्रीत भूमि का कब्जा हम खरीददार को सिपूद किया था तब से लेकर आज दिनांक तक मैं ही उपयोग उपभोग कर रहे है। मैने असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पटवारी को इन्तकाल खोलने हेतु दिया था किन्तु पटवारी द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज नही किया जिससे उक्त भूमि ऐजन कुंवर के नाम ही आज दिनांक तक जमाबन्दी में चली आ रही हैं। उक्त विक्रय पत्र 6,00,000/- रुपये के प्रतिफल में निष्पादित किया था। असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 1 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 1ए जिसमें एक्स स्थान पर ऐजन कुंवर के अंगुष्ठ निशानी है ए टु बी मुझ क्रेता एवं सी टु डी क्रेता उमग बाई के हस्ताक्षर ई टु एफ गवाह हमेरसिंह के हस्ताक्षर और वाई स्थान पर गवाह सोहन कुंवर के अंगुष्ठ निशानी है मौजा वांगरोदा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 138 प्रदर्श 2 हैं। हम वादीगण द्वारा खरीदा गया हिस्सा कृषि भूमि का हम वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

7. अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय दावा बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस वादीगण का वाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
8. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श 2 ग्राम वागरोदा पटवार हल्का भीमल तहसील मावली नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 138 पर दर्ज आराजी नम्बर 531, 532, 533, 534, 535, 558, 559, 561, 562, 563 किता 10 कुल क्षेत्रफल 3.0028 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण एवं खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। प्रदर्श-1ए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2011 अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि में खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह द्वारा अपने नाम दर्ज 1/6 हिस्सा को वादीगण को विक्रय कर दिया गया। वादीगण के कथनानुसार खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह का निधन हो गया। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। वादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का 1/6 हिस्सा अपने नाम दर्ज करने हेतु राजस्व कर्मचारियों से निवेदन किया, परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं किया गया। जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियों को नामान्तरकरण पारित कर 1/6 हिस्से से वादीगण के नाम खातेदारी अधिकार से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना चाहिए। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2011 से भूमि का क्रय करते ही उक्त भूमि के खातेदार हो चुके थे। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में ही अंकन नहीं किया गया। जो राजस्व कर्मचारियों की भूल है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार है। खातेदार एजनकुंवर के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भी बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इससे जाहीर होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अंकित करना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम वागरोदा पटवार हल्का भीमल तहसील मावली नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 138 पर दर्ज आराजी नम्बर 531, 532, 533, 534, 535, 558, 559, 561, 562, 563 किता 10 कुल क्षेत्रफल 3.0028 हैक्टेयर भूमि खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. मांगीलाल पिता भंवरलाल जी जैन, उम्र वयस्क, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
2. श्रीमती उगमबाई पत्नी मांगीलाल जी जैन, उम्र वयस्क, निवासी सासेरा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. नाथुसिंह पिता सवसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी वांगरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. सोहनकुंवर पुत्री सवसिंह जी पत्नी हरिसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी वांगरोदा, हाल घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. भंवरकुंवर पुत्री सवसिंह जी पत्नी नाथूसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फरारा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज०)
4. अंकित कुमार पिता चन्द्रप्रकाश जी जैन, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. एकता पत्नी विशाल जी दुग्गड़, उम्र वयस्क, निवासी 191 भुपालपुरा उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
6. ओमप्रकाश पिता सुन्दरलाल जी मेहता ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी नुरडा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
7. चन्द्रप्रकाश पिता चांदमल जी जैन सिंयाल, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. प्रहलाद पिता अर्जुनलाल जी लावटी, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. भरत पिता हरकलाल जी दुग्गड़, उम्र वयस्क, निवासी क्यूरोड भुपालपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
10. सुन्दरलाल पिता डालचन्द जी मेहता ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी नुरडा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
11. सरोजदेवी पत्नी हरकलाल जी दुग्गड़, उम्र वयस्क, निवासी क्यूरोड भुपालपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
12. पटवारी, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 71/24 (वाद) GCMS No. – 2024/167

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम वागरोदा पटवार हल्का भीमल तहसील मावली नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 138 पर दर्ज आराजी नम्बर 531, 532, 533, 534, 535, 558, 559, 561, 562, 563 किता 10 कुल क्षेत्रफल 3.0028 हैक्टेयर भूमि खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.04.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली